रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78 REGISTERED NO. D-(D)—78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 8, 1978 (आषाढ़ 17, 1900)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 8, 1978 (ASADHA 17, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	615
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	903
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	649
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1239
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1749
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	157
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3751
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	497
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1303
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	121

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	615
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	903
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	649
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1259
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1749
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	157
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3751
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	497
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1303
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	121

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 1978

संकल्प

विषय— भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन

सं० 14016/5/78एल० आर० डी०—भारत सरकार पिछले कुछ समय से विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के उपायों पर विचार कर रही है ।

बिचौलिया पट्टेदारी समाप्त करने से वैधानिक व प्रशासनिक कार्यवाही के लिए मुख्य क्षेत्र कृषि जोतों की हदबन्दी और पट्टेदारी सुधार हैं । 1972 में तैयार किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों में संशोधन किया गया था । जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का कार्यान्वयन अधिक संतोषजनक नहीं रहा है और इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाईश है । यह संभव है कि वर्तमान कानूनों में कमियां होने भू-अभिलेखों की त्रुटियों और कार्यान्वयन मशीनरी और प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता के फलस्वरूप जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है इन त्रुटियों की समीक्षा करना और उनको दूर करने के लिए सिफारिशें तैयार करना समीचीन होगा ।

2 खेती करने वाले पट्टेदारों के हितों की रक्षा करने और उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से कई कानून बनाये गये हैं । देश के कई भागों में कानूनों, भू-अभिलेखों, कार्यान्वयन मशीनरी व प्रक्रियाओं में दुबारा हुई कमियों ने पट्टेदारी सुधार के प्रभावकारी कार्यान्वयन को रोका है । ऐसे कारकों का, जिन्होंने पट्टेदारी सुधार के कानूनों के सन्तोषजनक कार्यान्वयन में रुकावट डाली है पता लगाना और प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशों को तैयार करना महत्वपूर्ण है । पट्टेदारी सुधार और जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सुधार के समन्वय के प्रश्न की भी दुबारा जांच करने की आवश्यकता है ।

3 भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार उपायों की प्रगति की समीक्षा करने और वैधानिक और प्रशासनिक उपायों, जो क्रियान्वयन की गति को तेज कर सके, की सिफारिश करने के लिए समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है । समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1 प्रोफेसर राज कृष्ण, सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2 डा० ए० एम० ख़ुसरो, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	सदस्य
3 डा० वी० एम० डाण्डेकर, निदेशक, गोखले राजनीति व अर्थ शास्त्र संस्थान, पूणे	सदस्य
4 श्री राधा कृष्ण, सचिव, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	सदस्य
5 प्रो० जी० पार्थसारथी, प्रोफेसर, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	सदस्य
6 श्री के० बालसुब्रमनियम, आई० ए० एस० (रिटायर्ड) भूतपूर्व राजस्व आयुक्त, कर्नाटक बंगलौर	सदस्य
7 डा० पी० सी० जोशी, सीनियर फेलो० आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
8 श्री पी० एस० अप्पू०, आई० ए० एस०	सदस्य
9 डा० पी० एच० प्रसाद, प्रोफेसर अर्थ शास्त्र, ए० एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना	सदस्य

4. केन्द्रीय कृषि विभाग में संयुक्त सचिव श्री आर० के० रथ समिति के सदस्य सचिव होंगे ।

5. समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निश्चित करेगी और भारत सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के सुधार तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति तथा राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित और योजना के प्रलेखों में दी गई नीतियों के मार्ग क्रियान्वयन के लिए उठाये जाने वाले कदमों का हवाला होगा ।

6. समिति का अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो उप समिति का गठन और सदस्यों को नामजद कर सकता है ।

7 समिति के गैर सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत ग्रेड 1 के अधिकारियों के लिए देय यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन तथा भारत सरकार के मन्त्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जायें ।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

जी० वी० के० राव्, सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 17th June 1978

RESOLUTION

SUBJECT : Constitution of a Committee to review implementation of Land Reform Laws.

No. 14016/5/78-LRD.—The Government of India have for sometime past been considering measures to accelerate the pace of implementation of various land reform laws.

With the abolition of intermediary tenures, the major areas for legislative and administrative action are ceiling on agricultural holdings and tenancy reforms. The ceiling laws were revised in the light of the National Guidelines formulated in 1972 Implementation of ceiling legislations has not been very satisfactory and there is considerable room for improvement. It is likely that loopholes in the existing legislations, the deficiencies of land records and the inadequacy of the implementation machinery and procedures have contributed to the tardy implementation of ceiling legislations. It will be expedient to review these shortcomings and formulate recommendations to remedy them.

2. A number of laws have been enacted with a view to protecting the interests of cultivating tenants and giving them ownership rights. Again shortcomings in legislation, land records, implementation machinery and procedures have prevented effective implementation of tenancy reform in many parts of the country. It is important to identify all the factors which have impeded satisfactory implementation of tenancy reform laws and develop recommendations to ensure effective and speedy implementation. The question of coordinating tenancy reform and ceiling reform also needs a fresh examination.

3. The Government of India have decided to set up a Committee to review the progress of land reform measures in different States, and to recommend Legislative and Administrative measures that could accelerate the pace of implementation. The composition of the Committee will be as follows :—

Chairman

1. Prof. Raj Krishna, Member, Planning Commission.

Members

2. Dr. A. M. Khusro, Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, Aligarh.
3. Dr. V. M. Dandekar, Director, Gokhle Institute of Politics & Economics, Pune.
4. Sri Radha Krishna, Secretary, Gandhi Peace Foundation, New Delhi.
5. Prof. G. Parthasarthy, Professor, Andhra University, Waltair.
6. Sri K. Balasubramaniam, I.A.S, (Retd). Former Revenue Commissioner, Karnataka, Bangalore.
7. Dr. P. C. Joshi, Senior Fellow, Institute of Economic Growth Delhi.
8. Sri P. S. Appu, I.A.S.,
9. Dr. P. H. Prasad, Professor of Economics, A.N.S. Institute of Social Studies, Patna.

4. Shri R. K. Rath, Joint Secretary in the Union Department of Agriculture will be the Member-Secretary of the Committee.

5. The Committee will determine its own procedure of work and send periodical reports to the Government of India indicating the position regarding improvement and implementation of Land Reform Laws in different States and steps to be taken to fully implement the policies laid down in the National Guidelines and incorporated in the Plan documents.

6. The Chairman of the Committee may, if deem necessary, constitute sub-committee and co-opt members.

7. Non-official members of the Committee will be paid T.A. and D.A. as admissible to officers of the First Grade under the rules of the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. V. K. RAO, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978